

Date: 28-12-2018

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला

ई-प्रोक्योरमेंट अल्पकालीन निविदा सूचना
निविदा आमंत्रण सूचना सं० - DWSD/Gumla/Gamhariya/12/18-19(3rd Call) दिनांक -26.12.2018
PR No. - 197051

1	कार्य का नाम :- राज्य योजना अन्तर्गत गुमला जिला के गम्हरिया एवं निकट वर्ती ग्रामों में ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण से सम्बन्धित विस्तृत सर्वे, विभिन्न अवयवों के डिजाईन एवं ड्राईंग कार्य, आर० सी० सी० इंटेकवेल-सह-पम्प हाउस, आर० सी० सी० गैंगवे, गैरपारम्परिक जलषोध संस्थान, आर०सी०सी० जलमीनार, स्टॉफ क्वार्टर, चहारदिवारी आदि का निर्माण कार्य, रॉ एवं शुद्ध राइजिंग एवं वितरण मेन हेतु डी०आई० पाइपों की आपूर्ति तथा बिछाने जोड़ने का कार्य, वी०टी० एवं सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पस आदि की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन एवं दो वर्षों तक परिचालन एवं सम्पोषण एवं अन्य सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य "टर्न की" के आधार पर।
2	प्राक्कलित राशि :- 1017.80 लाख रुपये
3	अग्रधन की राशि :- 10.18 लाख रुपये
4	कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 24माह + 3माह for Trial Run for Rectification of defects etc.
5	वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि :- 09.01.19, 02.00 बजे अपराहन तक।
6	प्री बीड मीटिंग की तिथि :- 16.01.19, 03.00 अपराहन में अभियन्ता प्रमुख, का कार्यालय, नेपाल हाउस राँची।
7	बीड प्राप्ति की अन्तिम तिथि एवं समय :- 23.01.2019, 5.00 बजे अपराहन तक।
8	बैंक गारंटी एवं परिमाण विपत्र का मूल्य जमा करने की अन्तिम तिथि, समय एवं स्थान :- 25.01.2019, 3.00 बजे अपराहन तक, कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल गुमला के कार्यालय में
9	निविदा के तकनीकी बीडों के खोलने की तिथि एवं समय :- 25.01.2019, 4.30 बजे अपराहन से
10	निविदा के वित्तीय बीडों के खोलने की तिथि :- बाद में सूचित किया जाएगा
11	निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी एवं कार्यालय का पता :-कार्यपालक अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला।
12	प्रोक्योरमेंट कार्यालय का सम्पर्क नं० 06524-223058
13	ई प्रोक्योरमेंट सेल का हेल्प लाईन नं० 8084756939

नोट :- वैसे संवेदक जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में समुचित श्रेणी में निबंधित नहीं हैं, वे भी निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु कार्यावटन के 60 दिनों के अन्दर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में समुचित श्रेणी में निबंधन करवा लेना अनिवार्य होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें विभागीय पत्रांक 676(CDO) दिनांक 20.10.2012 के अनुसार इस आशय का शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा कि राज्यान्तर्गत किसी भी थाने में उनके विरुद्ध कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है और वे निविदा के अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हैं।

विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://jharkhandtenders.gov.in> से प्राप्त की जा सकती है।

ह० / -
कार्यपालक अभियन्ता,
पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल गुमला

समस्या का समाधान तुरंत डायल करें-181
P.R.198500 Drinking Water and Sanitation(18-19):D

PR No: 198500(Drinking Water and Sanitation)